

**कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)**

कमांक / एनएचएम / संविदा नियुक्ति / 2025-26

“संविदा भर्ती विज्ञापन”

बिलासपुर दिनांक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिले के आर.ओ.पी. वर्ष 2025-26 में स्वीकृति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/जिला स्वास्थ्य समिति, जिला बिलासपुर, छ.ग. के अंतर्गत निम्न रिक्त पदों हेतु इच्छुक पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर छ.ग. के नाम से दिनांक **14.11.2025** को रात 12:00 बजे तक ऑनलाईन माध्यम से जिले के वेबसाइट www.bilaspur.gov.in द्वारा आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि व समय में ऑनलाईन आवेदन के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा। “सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी”।

S.N.	Programme	Post Name	Salary	Vacant	Vacant Post Roster				Qualification
					UR	ST	SC	OBC	
1	NHM	2nd ANM	12000	1	0	1	0	0	12th Passed, ANM Passed in INC affiliated training center & live registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council
2	NHM	Physiotherapist	18000	3	1	1	0	1	Bachelor's Degree in Physiotherapy (B.P.T)
3	RBSK	Pharmacist-RBSK	16500	1	0	0	1	0	Degree or Diploma in Pharmacy (50%) & Registration in Pharmacy Registration Council
4	NHM, BPHU & RBSK	Laboratory Technician	14000	5	1	1	2	1	1. Higher Secondary (10+2) in Biology with BMLT 2. A) Higher Secondary (10+2) in Biology with DMLT B) Higher Secondary (10+2) in Biology with Paramedical Technician one year certificate (CMLT) Registration in Paramedical Council of India or Chhattisgarh Paramedical Council. (First Preference will be given to BMLT)
5	NHM	Nursing Officer 24X7	16500	4	4	0	0	0	Bsc Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council
6	SNCU & NRC	Staff Nurse	16000	24	13	4	4	3	Bsc Nursing OR GNM Course Passed & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council
7	NOHP	Dental Assistant	14000	1	0	0	1	0	Matriculation from recognized Board. Essential Qualification- Experience: 2 Years experience in a dental college clinic. Only govt. health facility exp. Should be considered. -Preference will be given to candidates done 1 year course of lab technician experience (Dental work Related)/Hygienist or dental technician from medical college in related field)
8	NRC	Feeding Demonstrator	12000	3	1	1	1	0	BSC Home Science
9	HWC	Community Health Officer	16500	8	4	1	2	1	B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing Certificate in Community Health Integrated Course & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration Council

S.N.	Programme	Post Name	Salary	Vacant	Vacant Post Roster				Qualification
		(As per Rationalization)			UR	ST	SC	OBC	
10	NTEP	TBHV- NTEP	14000	1	1	0	0	0	1. Graduate OR 2. Intermediate (10+2) and experience of working as MPW/LHV/ANM/Health Worker/Certificate or Higher course in Health Education/Counselling. OR 3. Tuberculosis Health visitors recognized Course. 4. Certificate course in computer operation (minimum 2 months)
11	NUHM	Dental Assistant	14000	1	1	0	0	0	Matriculation from recognized Board. Essential Qualification- Experience: 2 Years experience in a dental college clinic. Only govt. health facility exp. Should be considered. -Preference will be given to candidates done 1 year course of lab technician experience (Dental work Related)/Hygienist/dentaltechnician from medical college in related field)
12	NUHM	Pharmacist- UPHC	16500	1	0	0	1	0	Degree or Diploma in Pharmacy (50%) & Registration in Pharmacy Registration Council
13	NUHM	Nursing Officer	16500	1	1	0	0	0	01-B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing 02-General Nursing and Midwifery (GNM) with CG Nursing Council registration (Final Merit List prepared on the basis of order of priority .like 1 & 2)
14	UAAM	Nursing Officer	16500	11	6	1	3	1	01-B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing/02-General Nursing and Midwifery (GNM) with CG Nursing Council registration (Final Merit List prepared on the basis of order of priority .like 1 & 2)
15	UAAM	MPW (M)	14000	13	7	1	3	2	Must have passed Higher Secondary Examination [10+2] examination with Biology subject. One year Diploma in Multipurpose Worker Training or equivalent training from training center recognized by the State Governmentwith registered in Chhattisgarh Paramedical Council.
16	NHM	Counsellor	12000	4	1	0	2	1	PG Degree/Diploma in Psychology/Counseling/Health Education/Mass Communication/MSW
17	NHM	Block Data Manager	21000	1	1	0	0	0	1) Graduate (55%) & PGDCA Or 2) BCA (55%)
18	IDSP, NVHCP & NPCB	Secretarial Assistant - NPCB & IDSP	13650	3	0	2	1	0	Graduate from recognized University. Working Knowledge of computers and should be able to work with software used in statistical analysis with operating knowledge of MS office, Excel, Power Point, Internet and should have minimum 1-2 years experience in data recording and data analysis and handling of office correspondence
19	NHM	Jr. Secretarial Assistant – PADA	12000	4	1	2	1	0	12th Pass with at least 1 year Diploma in Computer Application
20	UAAM	Jr. Secretarial Assistant -	12000	14	8	0	4	2	12th Passed with at least 01 year computer diploma.
21	NTEP	Accountant - NTEP	16000	1	1	0	0	0	1. Graduate in commerce 2. Two years of experience in Maintenance of accounts on double entry system in a recognized Society or Institution 3. Experience in working with Accounting software for at least 2 years

Barlini

Saund

S.N.	Programme	Post Name	Salary	Vacant	Vacant Post Roster				Qualification
		(As per Rationalization)			UR	ST	SC	OBC	
22	NRC	COOK-NRC	8800	4	1	1	1	1	8 th Passed
23	NRC	Attendant-NRC	8800	3	1	1	1	0	8 th passed
24	SNCU	Cleaner- SNCU	8800	4	2	0	1	1	8 th passed
25	SNCU	Aaya Bai-SNCU	8800	4	2	1	1	0	8 th passed
26	NHM	House Keeping Staff	10000	5	2	1	1	1	8 th passed
27	UAAM	Class IV	10000	11	6	1	3	1	10 th Passed

[Handwritten signature]

Barku

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

विज्ञापन नियम एवं शर्तें:-

- 1.1 उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/संस्था/विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पद अनुरूप आवश्यक काउंसिल का जीवित पंजीयन होना चाहिए। समस्त अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु जिले की वेबसाइट www.bilaspur.gov.in में जारी सूचना अनुसार निर्धारित तिथि में अनिवार्यतः उपस्थित होना होगा, अनुपस्थिति की स्थिति में अपात्र करते हुए मेरिट सूची से बाहर कर दिया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर 1 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः मूल प्रमाण पत्र के साथ में लावे।
- 1.2 विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें व दिशानिर्देश जिले की वेबसाइट <http://bilaspur.gov.in> में देखी व डाउनलोड की जा सकेगी। विज्ञापन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारी समय-समय पर जिले के वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदाय की जावेगी। अभ्यर्थी निरंतर जिले की वेबसाइट www.bilaspur.gov.in का अवलोकन करते रहें। अन्य किसी माध्यम से कोई जानकारी आवेदक को व्यक्तिगत प्रेषित नहीं की जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी।
- 1.3 आवेदक एक से अधिक पदों हेतु योग्यता अनुसार पदवार ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं किन्तु पृथक-पृथक पदवार आवेदन किया जाना होगा, उपरांत अभ्यर्थी द्वारा किया कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 1.4 संविदा भर्ती के लिये न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष हेतु होगी। आयु की गणना अनुबंध वर्ष के दिनोंक 01 जनवरी अनुसार की जावेगी।
- 1.5 सभी पद पूर्णतः संविदा है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अधीन है तथा संविदा भर्ती के संदर्भ में आरक्षण ("सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी") व अन्य नियम-शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के अनुसार लागू होंगे। विज्ञापित पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप व उक्त पदों की भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें व दिशानिर्देश जिले की वेबसाइट <http://bilaspur.gov.in> में देखी व डाउनलोड की जा सकेगी। शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।
- 1.6 संविदा मानदेय:- संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा, इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।
- 1.7 निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/स्कूटनी कर प्राप्त अभ्यर्थियों की वरीयता क्रम सूची बनाई जायेगी एवं निम्नानुसार पदों की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों का लिखित अथवा कौशल परीक्षा लिया जावेगा:

क्र.	कुल विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या	लिखित/कौशल परीक्षा लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना

1.8 चयन प्रक्रिया:-

कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/मेरिट प्रक्रिया-

- I. पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित वांछित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जावेगा। मेरिट के लिये एएनएम पद हेतु शैक्षणिक योग्यता एएनएम, जूनि. सेक्रे. असि. पद हेतु 12 वीं तथा सेक्रे. असि. पद हेतु स्नातक मान्य होगा।
- II. पद क्रमांक 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65 प्रतिशत योग लिया जायेगा। कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक/प्रतिशत तथा अनुभव हेतु 10/15 (अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये एन.एच.एम. मे कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 03 अंक) अन्य अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 10 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 02 अंक)।

- III- पद क्रमांक 1, 5, 6, 13 एवं 14 पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत योग में लिया जायेगा। साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा हेतु 20 अंक/प्रतिशत तथा अनुभव हेतु 10/15 (अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 03 अंक) अन्य अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 10 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 02 अंक)।
- जी.एन.एम./नर्सिंग तथा ए.एन.एम. प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यर्थियों को मितानिन के रूप में एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुये अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जायेगा कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा।
- IV- पद क्रमांक 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 (मेरिट से) हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के प्रतिशत का 85 प्रतिशत लिया जायेगा तथा अनुभव हेतु 10/15 (अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 03 अंक) अन्य अभ्यर्थी हेतु अधिकतम 10 अंक (प्रतिवर्ष हेतु 02 अंक)
- V- पद क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 21 तक के पद हेतु कौशल/लिखित परीक्षा के माध्यम से एवं पद क्रमांक 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 का मेरिट के माध्यम से चयन प्रक्रिया किया जायेगा।
- VI- अभ्यर्थियों को लिखित/कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंको (20 अंक) का 30 प्रतिशत अंक (6 अंक) अर्जित करना अनिवार्य होगा। 30 प्रतिशत अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी को अपात्र माना जायेगा।
- VII- ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंकसूची (विशेषकर 8 वीं) ग्रेडिंग पद्धति का है, जिनका ग्रेडिंग गणना स्पष्ट ना हो, उनको ग्रेडिंग गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है तथा इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था/विद्यालय से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक/चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अपात्र की श्रेणी में रखा जावेगा।
- 1.9 चयनित होने एवं दस्तावेज सत्यापन के उपस्थिति के समय निम्न अभिलेखों की मूल प्रति एवं 1 सेट छायाप्रति के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होने पर चयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
- 10 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची/जन्म प्रमाण पत्र।
 - 12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची।
 - मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के समस्त सेमेस्टर/वर्षों की अंकसूची।
 - संबंधित डिग्री।
 - संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
 - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति/जाति सत्यापन प्रमाण पत्र। (स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे)
 - छत्तीसगढ़ राज्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
 - विकलांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल बोर्ड द्वारा) जीवित।
 - अनुभव प्रमाण पत्र – समस्त पदों के चयन में केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय/अर्धशासकीय पदों पर पद से संबंधित नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा जारी कार्य अनुभव ही मान्य किया जायेगा। जिसके लिये प्रतिवर्ष के मान से 02 अंक (अधिकतम 10 अंक) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारियों को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 03 अंक (अधिकतम 15 अंक) अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जायेगा (एनएचएम नियमानुसार सीएमएचओ व डीपीएम हस्ताक्षरित जिला स्तर के अनुभव प्रमाणपत्र मान्य) तथा प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्ष का सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना कर अंक दिये जायेंगे।






- उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरांत भी किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यार्थी की नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 - जी.एन.एम./नर्सिंग तथा ए.एन.एम. प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन अभ्यार्थियों को मितानिन के रूप में एक वर्ष कार्य करने पर 04 अंक देते हुये अधिकतम 20 अंको का लाभ दिया जायेगा कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र रायपुर का ही मान्य होगा।
 - शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी. ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
- 1.10 विज्ञापन अंतिम तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं (मूल दस्तावेज) पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा।
 - 1.11 दावा आपत्ति हेतु जारी सूची पर आवेदकों द्वारा एक निर्धारित समय अवधि तक ही दावा आपत्ति मान्य या स्वीकार किया जावेगा। दावा आपत्ति में केवल तकनीकी त्रुटि ही मान्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
 - 1.12 आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। प्रदेश के सभी अभ्यार्थी को समान अवसर प्राप्त होंगे। मूल निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य राज्य के निवासियों को अवसर दिया जाएगा।
 - 1.13 छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र ना होने की स्थिति में अभ्यार्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यार्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा।
 - 1.14 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता संस्था से नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 - 1.15 साक्षात्कार/कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यार्थी को अपने साथ पहचान पत्र आवश्यक रूप से लाना होगा।
 - 1.16 उपरोक्त संविदा अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जायेंगे।
 - 1.17 वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाये जाने पर संविदा अवधि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. द्वारा स्वीकृत अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा।
 - 1.18 ऐसे अभ्यार्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सेवा समाप्त की गयी है चाहे वह किसी भी पद पर रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की संज्ञा में रखा जावेगा।
 - 1.19 चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को 50 रुपये का अनुबंध पत्र (बॉण्ड) भरना अनिवार्य होगा।
 - 1.20 विज्ञापित पदों की संख्या में बैकलॉग पद शामिल हैं।
 - 1.21 उक्त पदों के लिये प्रवर्गवार प्रतीक्षा भी जारी किया जायेगा, जिसकी वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी एक वर्ष तक के लिए वैध रहेगी, इस दौरान पद रिक्तता की स्थिति में उक्त प्रतीक्षा सूची से पदपूर्ति की जा सकेगी। प्रतीक्षा चयन सूची हेतु कुल 25 पदों तक 200 प्रतिशत 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत तथा 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।
 - 1.22 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होंगे तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना एवं मुख्यालय निवास करना अनिवार्य होगा।
 - 1.23 दावा-आपत्ति, मेरिट सूची एवं चयनित उम्मीदवारों की सूची आदि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाइट <http://bilaspur.gov.in> पर देखी जा सकेगी एवं अन्य किसी माध्यम से पृथक से कोई सूचना नहीं दिया जायेगा।
 - 1.24 योग्य उम्मीदवार नहीं होने की दशा में चयन समिति द्वारा भर्ती निरस्त कर पुनः पद विज्ञापित कराया जा सकता है।
 - 1.25 दिव्यांग आवेदकों को चिकित्सा प्राधिकारी जिला मेडिकल बोर्ड से प्राप्त स्थाई जीवित प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों।

- 1.26 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का दबाव डाला या डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जायेगा।
- 1.27 कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 1.28 अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण ऑनलाइन आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे तथा निर्देशानुसार दस्तावेजों को अनिवार्यतः संलग्न किया जाना होगा। ऑनलाईन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा।
- 1.29 उपरोक्त पदों पर भर्ती के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्याओं पर अंतिम निर्णय कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला बिलासपुर छ.ग. का होगा।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-बिलासपुर छ.ग.



Bm

